Royal Commission
into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation
of People with Disability

अपने अनुभव साांझे करना

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन (विकलाँगता राजकीय आयोग) के साथ

Sharing your experience with the Disability Royal Commission

Hindi | हिन्दी

और अधिक समावेशी,
न्यायसंगत समाज

विषय-वस्तु

अपने अनुभव हमारे साथ सांझे क्यों करें 1

हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण 2

अपने अनुभव हमारे साथ सांझे करने के तरीके 3

- लिखना, फोन करना, फिल्म बनाना या रिकॉर्ड करना 4
- अपने अनुभव के बारे में सोच-विचार करना 5
- निजी सत्र में भाग लें 6
- निजी सत्र के लिए निवेदन करें 7

आपकी जानकारी के साथ क्या होता है? 8

- आपकी पहचान और जानकारी का संरक्षण 8
- प्रतिशोध से बचाना 8

सलाह और समर्थन 9

- अन्य भाषाओं में सहायता 10
- कानूनी सहायता 10

हमें संपर्क करें 12

सूचित रहें 13

अपने अनुभव हमारे साथ सांझे क्यों करें

आपका अनुभव महत्वपूर्ण है। विकलाँगता से पीड़ित लोगों, परिवारों, समर्थक लोगों और व्यापक समुदाय के विचार सुनने से रॉयल कमीशन को विकलाँगता से पीड़ित लोगों के प्रति की जाने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण के विस्तार को, इसके प्रभावों को, और इस बात को समझने में मदद मिलती है कि हम भविष्य में इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं।

रॉयल कमीशन की संदर्भ की शर्तें यह आवश्यक बनाती हैं कि हम व्यक्तिगत अनुभवों पर सोच-विचार करें।

हमारे साथ अपने अनुभव सांझे करने से हमें निम्नलिखित करने में सहायता मिलेगी:

- समस्या के विस्तार की पहचान करने में
- उन प्रणालियों और संदर्भों को और अधिक समझने में जिनमें हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण के होने की अधिक संभावना हो
- विकलाँगता से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों, समर्थक लोगों और हमारे समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों की समझ विकसित करने में
- आपकी जांच-पड़ताल और अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने में
- अलग-अलग विचार सुनने में।

कृपया ध्यान दें कि रॉयल कमीशन व्यक्तिगत मामलों पर फैसला नहीं ले सकता है या उनका समाधान नहीं कर सकता है, या मुआवजा प्रदान नहीं कर सकता है।

रॉयल कमीशन यह स्वीकार करता है कि अपने अनुभव बताने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा कदम होता है। हम इसे जितना संभव हो सके उतना आसान बनाना चाहते हैं। कृपया हमें किसी ऐसे समर्थन के बारे में बताएँ जिसकी आपको ज़रुरत है।

हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण

हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं। रॉयल कमीशन के संदर्भ में, इन शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं।

हिंसा और दुर्व्यवहार

हिंसा और दुर्व्यवहार विकलाँगता से पीड़ित लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के आचरण को शामिल करते हैं। इनमें मारपीट, यौन उत्पीड़न, दबाव, प्रतिबंधात्मक अभ्यास (शारीरिक एवं रासायनिक), जबरन उपचार, जबरन मध्यवर्तन, अपमान व उत्पीड़न, वित्तीय एवं आर्थिक दुर्व्यवहार और प्रणालीगत या व्यक्तिगत आधार पर गोपनीयता तथा गरिमा की महत्वपूर्ण उल्लंघनाएँ शामिल हो सकती हैं।

अवहेलना

अवहेलना में शारीरिक या भावनात्मक अवहेलना, निष्क्रिय अवहेलना या जानबूझ कर किसी चीज़ का अभाव रखना शामिल है। अवहेलना कोई एकमात्र महत्वपूर्ण दुर्घटना या प्रणालीगत समस्या हो सकती है जिसमें विकलाँगता से पीड़ित व्यक्ति को जीवन की बुनियादी ज़रुरतों से वंचित रखना शामिल हो जैसे कि खाद्य-पदार्थ, पेय-पदार्थ, आश्रय स्थान, पहुँच, गतिशीलता, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सीय देखभाल और उपचार।

शोषण

शोषण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति का लाभ उठाता है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का अनुचित प्रयोग या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, श्रम, रोज़गार या संसाधनों का अनुचित प्रयोग या उन्हें रोके रखना शामिल हो सकता है, इसमें शारीरिक, यौन, वित्तीय या आर्थिक लाभ उठाना शामिल है।

अपने अनुभव सांझे करने के तरीके

आप निम्नलिखित माध्यम से हमारे साथ अपने अनुभव सांझे कर सकते/सकती हैं:

- लिखित तौर पर, फोन से, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग में
- आयुक्त के साथ एक निजी सत्र में

लिखना, फोन करना, फिल्म बनाना या रिकॉर्ड करना

कोई भी व्यक्ति रॉयल कमीशन को सब्मिशन जमा करा सकता है। सब्मिशन किसी भी ऐसे तरीके से की जा सकती है जो आपको सुखद लगे – टेलीफोन, ई-मेल करके, वीडियो बनाकर या हमारी वेबसाइट के द्वारा। अपने खुद के शब्दों में हमें अपने अनुभव बताएँ – यदि आपको सब कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अपने खुद के अनुभव लिख सकते/सकती हैं या वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बना सकते/सकती हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से, टेलीफोन पर, ई-मेल करके या डाक से भी अपने अनुभवों के बारे में हमें बता सकते/सकती हैं।

हम विकलाँगता से पीड़ित लोगों, उनका समर्थन करने वाले परिजनों, मित्रों और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने अनुभव हमारे साथ अपनी प्रथम भाषा में सांझे करें, इनमें जनजातीय भाषाएँ और Auslan शामिल हैं। हम दुभाषिए और अनुवादक उपलब्ध कराएँगे।

यदि आपको शुरुआत करने में कठिनाई हो रही है, तो पृष्ठ 5 पर दिए सवालों पर सोच-विचार करें। ये सवाल केवल एक संदर्शिका हैं, और आपके लिए यह ज़रुरी नहीं है कि आप इन सभी सवालों का जवाब दें। आपको केवल वह जानकारी देनी है जिसे सांझी करने में आप सुखद महसूस करते/करती हैं।

यदि आपने पहले किसी सरकारी संस्था, शिकायत निकाय, या पुलिस को कोई लिखित बयान दिया है, तो आप उसकी प्रति हमें देना चाह सकते/सकती हैं।

जब रॉयल कमीशन को आपका लिखित, ऑडियो या वीडियो विवरण मिल जाता है, तो हम यह पुष्टि करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे कि हमने यह प्राप्त कर लिया है। आपको अभिस्वीकृति पत्र भेजा जाएगा।

आप www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/make-your-submission वेबसाइट पर जाकर हमारे साथ अपने अनुभव सांझे कर सकते/सकती हैं।

अपने अनुभवों के बारे में सोच-विचार करना

यदि आप अपने अनुभव सांझे करना चाहते/चाहती हैं, तो शुरुआत करने के लिए ये सवाल आपको उपयोगी लग सकते हैं:

- आप विकलाँगता से पीड़ित लोगों के साथ होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना या शोषण के अपने अनुभवों या अपनी जानकारी के बारे में रॉयल कमीशन के साथ क्या बातें सांझा करना चाहेंगे?
- क्या आपने किसी ओर से साथ ये अनुभव सांझे किए हैं? आपने ये किसे बताए थे और उससे क्या हुआ?
- क्या कोई ऐसे सुझाव या संस्तुतियाँ हैं जिन्हें आप सांझा करना चाहते/चाहती हैं, इनमें उन कार्यों की उदाहरणें शामिल हैं जो ठीक से हुए हैं या ऐसे विचार कि कार्यों को किस प्रकार बेहतर तरीके से किया जा सकता था?
- क्या कोई और बात है जो आप हमें बताना चाहते/चाहती हैं?
- चंद वाक्यों में, आप ऑस्ट्रेलिया को भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों के बारे में क्या बताना चाहेंगे?

निजी सत्र में भाग लेना

अपने अनुभव सांझे करने का एक अन्य तरीका आयुक्त के साथ निजी सत्र में भाग लेकर ऐसा करना है।

निजी सत्र, जिनका आयोजन आमने-सामने, वीडियो कांफ्रेंसिंग, टेलीफोन के द्वारा किया जा सकता है, आपको एक गोपनीय परिवेश में अपने अनुभव सांझे करने की योग्यता देते हैं।

निजी सत्र में यदि आप अपने बारे में कोई ऐसी जानकारी देते/देती हैं जिससे आपकी पहचान हो, तो उसे कानूनन प्रकटीकरण किए जाने से संरक्षित रखा जाता है।

बहुत ही सीमित परिस्थितियों के अलावा, निजी सत्र में आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी जिससे आपकी पहचान होती हो,वह रॉयल कमीशन के समाप्त होने के बाद भी गोपनीय बनी रहती है। सूचना की स्वतंत्रता विनियम के अधीन इसके लिए सपीना जारी नहीं किया जा सकता है या इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। निजी सत्र में आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का प्रयोग सिविल (नागरिक) या आपराधिक कार्यवाहियों में आपके विरुद्ध प्रमाण के रुप में नहीं किया जा सकता है।

निजी सत्रों से पहले, इनके दौरान और इसके बाद सलाह समर्थन उपलब्ध है।

निजी सत्रों के बारे में जानकारी का पता www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story वेबसाइट पर लगाएँ।

निजी सत्र के लिए निवेदन करना

कोई भी व्यक्ति जिसके पास संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत सांझी करने के लिए जानकारी हो, वह निजी सत्र का निवेदन कर सकता है।

रॉयल कमीशन निजी सत्रों में भाग लेने वाले लोगों की यात्रा और आवास के यथोचित खर्च की पूर्ति करेगा।

आप निजी सत्र का निवेदन कर सकते/सकती हैं:

- ऑनलाइन www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/apply-private-session पर
- DRCenquiries@royalcommission.gov.au पर ई-मेल करके
- 1800 517 199 या +61 7 3734 1900 पर टेलीफोन करके सोमवार से शुक्रवार (सार्वजनिक अवकाश के अलावा)
- डाक से GPO Box 1422, Brisbane Qld 4001पर

आपकी जानकारी के साथ क्या होता है?

यदि आपने रॉयल कमीशन के साथ अपना अनुभव सांझा किया है, तो आपको किसी लोक सुनवाई पर गवाही देने के लिए कहा जा सकता है, जहाँ आप प्रमाण के तौर पर अपनी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। यदि आप किसी लोक सुनवाई में गवाही नहीं देना चाहते/चाहती हैं तो आप ऐसा कर सकते/सकती हैं।

आपकी पहचान और जानकारी का संरक्षण

यदि आप चाहते/चाहती हैं कि रॉयल कमीशन के बाहर किसी के साथ भी आपकी जानकारी या पहचान को सांझा न किया जाए, तो हम रॉयल कमीशन के अप्रैल 2022 में समाप्त होने तक (जब अंतिम रिपोर्ट देय है) आपकी पहचान और हमारे साथ सांझी की जाने वाली जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं।

यदि आपको यह चिंता है कि रॉयल कमीशन के समाप्त होने पर आपकी पहचान या सब्मिशन में आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का खुलासा किया जाएगा तो आप इसकी चर्चा किसी वकील के साथ कर सकते/सकती हैं। नि:शुल्क स्वतंत्र कानूनी सलाह 1800 771 800 पर फोन करके या www.yourstorydisabilitylegal.org.au वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रतिशोध से सुरक्षा

हम यह समझते हैं कि विकलाँगता से पीड़ित लोगों को उनके साथ प्रतिशोध किए जाने की चिंता हो सकती है, उदाहरणत: यदि वह एक ऐसी लोक सब्मिशन करते हैं जो किसी रोज़गारदाता या आवासीय प्रदाता की आलोचना करती हो। हम इस चिंता को बहुत गंभीरता से लेते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे रॉयल कमीशन द्वारा पेश की जाने वाली सुरक्षाओं के बारे में वे कानूनी सलाह प्राप्त करें।

सलाह एवं समर्थन

अपने अनुभाव सांझे करना भी कठिन हो सकता है। रॉयल कमीशन के बारे में समाचार देखना या सुनना कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है।

रॉयल कमीशन की एक सलाहकारी टीम है जो रॉयल कमीशन के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को सलाह और समर्थन प्रदान करने के लिए सभी सामुदायिक मंचों, लोक सुनवाईयों और निजी सत्रों में भाग लेती है।

Blue Knot Foundation डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति और विकलाँगता से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों और समर्थक व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विशेषज्ञ सलाह समर्थन और रेफरल सेवा प्रदान करती है।

नेशनल हॉटलाइन को 1800 421 468 पर फोन करें। यह प्रतिदिन खुली रहती है।

यदि आप बहरे हैं, या आप सुनने या बोलने के किसी विकार से ग्रस्त हैं, तो नेशनल रिले सेवा को 133 677 पर फोन करें और कहें कि आप 02 6146 1468 नम्बर पर फोन मिलाए जाना चाहते/चाहती हैं।

यदि आपकी गैर-मौखिक या अन्य संचार आवश्यकताएँ हैं, तो ऑनलाइन चैट सुविधाएँ तथा ई-मेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यदि आप अपनी ऐक्सेस (पहुँच) और संचार संबंधी आवश्यकताओं की चर्चा करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया helpline@blueknot.org.au पर संपर्क करें।

आप जिन समर्थनों तक पहुँच प्राप्त कर सकते/सकती हैं, उनके बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट www.disability.royalcommission.gov.au/counselling-and-support पर उपलब्ध है।

हो सकता है कि ऐसी कई संस्थाएँ हों जो डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के साथ काम करने वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत पक्षसमर्थन प्रदान कर सकती हैं। अपने क्षेत्र में पक्षसमर्थन सेवा का पता लगाने के लिए, www.disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/ वेबसाइट देखें।

अन्य भाषाओं में सहायता

यदि आपको किसी अन्य भाषा में सहायता की ज़रुरत है, तो कृपया फोन करें:

- राष्ट्रीय सलाह एवं रेफरल सेवा को 1800 421 468 पर फोन करें और दुभाषिए के लिए निवेदन करें (सलाहकार इसका प्रबंध करेगा), या
- अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फोन करें और राष्ट्रीय सलाह एवं रेफरल सेवा को 1800 421 468 पर फोन करें।

यदि आप ब्रैल (उत्कीर्ण लेख) में हमारा कोई दस्तावेज़ ऑर्डर करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया 1800 517 199 पर फोन करें।

कानूनी सहायता

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के साथ अपने अनुभव सांझे करने में आपकी मदद करने के लिए एक नि:शुल्क कानूनी परामर्शी सेवा उपलब्ध है।

यह सेवा डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन से स्वतंत्र है और यह निम्नलिखित में मदद कर सकती है:

- किसी सब्मीशन या निजी सत्र में अपने अनुभव सांझे करना
- रॉयल कमीशन के अधिकारों, कार्यविधियों और दिशा-निर्देशों के बारे में सूचना एवं सलाह
- गवाहों के बयान लिखना
- गोपनीयता अनुबंध जैसी प्रासंगिक कानूनी समस्याओं से सम्बन्धित सलाह
- वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी जो आपके लिए उपलब्ध हो सकती है।

1800 771 800 पर नि:शुल्क कॉल करें सोमवार-शुक्रवार (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) या वेबसाइट www.yourstorydisabilitylegal.org.au देखें।

कानूनी वित्तीय सहायता योजना

जब आप निम्नलिखित तरीकों से हमारे साथ काम करेंगे तो कानूनी खर्चों की पूर्ति की जाएगी:

- रॉयल कमीशन की सुनवाई पर गवाह के तौर पर बुलाया जाने पर, या पेश होने की शर्त से छूट दिए जाने पर
- रॉयल कमीशन के साथ इंटरव्यू में भाग लेने का निवेदन दिए जाने, या भाग लेने पर
- सूचना देने के नोटिस या लिखित तौर पर वक्तव्य का अनुपालन करने पर जिसका प्रयोग रॉयल कमीशन में प्रमाण के तौर पर किया जाएगा, और/या
- रॉयल कमीशन द्वारा जारी उपस्थित करने के नोटिस की अनुपालना करने पर

यदि रॉयल कमीशन द्वारा आपको अपनी निजी क्षमता में बुलाया जाता है तो आप कानूनी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं। यदि आपकी संस्था को बुलाया गया है, तो आप इस आकलन के अंतर्गत कानूनी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं कि क्या संस्था गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना अपने कानूनी प्रतिनिधियों के खर्च को पूरा कर सकती है या नहीं।

अटॉर्नी-जनरल विभाग की वेबसाइट में यह जानकारी शामिल है कि आप आवेदन कैसे कर सकते/सकती हैं। www.ag.gov.au देखें।

हमें संपर्क करें

1800 517 199 पर

फोन करें सोमवार-शुक्रवार (राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश के अलावा)।

यदि आप बहरे हैं, या आप सुनने या बोलने के किसी विकार से ग्रस्त हैं, तो नेशनल रिले सेवा को 133 677 पर फोन करें और कहें कि आप 07 3734 1900 नम्बर पर फोन मिलाए जाना चाहते/चाहती हैं।

अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में हमें फोन करने के लिए नि:शुल्क अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS नेशनल) को 131 450 पर फोन करें और उन्हें कहें कि आप 1800 517 199 नम्बर पर फोन मिलाए जाना चाहते/चाहती हैं।

डाक पता

GPO Box 1422, Brisbane, Qld 4001.

ई-मेल और वेबसाइट

DRCenquiries@royalcommission.gov.au

www.disability.royalcommission.gov.au

सूचित रहें

फेसबुक

facebook.com/disability.royalcommission.gov.au

ट्विटर

@DRC_AU

Connect ई-न्यूज़लैटर

हमारी हर दो सप्ताह बाद आने वाली ई-न्यूज़लैटर *Connect* को सबस्क्राइब करने के लिए, हमारी वेबसाइट पर सबस्क्रिप्शन फॉर्म भरें या DRCmailinglist@royalcommission.gov.au पर ई-मेल भेजें।

Royal Commission
into Violence, Abuse, Neglect and
Exploitation of People with Disability